


कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
सीनियर सैकण्डरी / सैकण्डरी में मर्ज होने से 3 बी के अधिशेष
वरिष्ठ अध्यापकों के पदस्थापन दिनांक 4.06.2017 सूची न0 1

क्रमांक उनिशि/मा/अज/संस्था-4/3बी/2017/ 3679

दिनांक 4/6/2017

कस	जिला	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विषय	पदस्थापन स्थान राउमावि / रामावि
1	अजमेर	प्रेमलता माथुर व0अ0 राउमावि वैशाली नगर अजमेर	हिन्दी	चौरसियावास अजमेर
2	नागौर	प्रकाश रेगर वअ राबाउमावि जैन वार्ड 11 कुचेरा मुण्डवा	विज्ञान	खजवाना नागौर
3	भीलवाडा	घनश्याम सिंह राठौड वअ राउमावि सरैरी बडारो की हुरडा	सामान्य	लोरडी अजमेर
4	भीलवाडा	रामचन्द्र रेगर वअ राउमावि सातलो का खेडा कोठरी	सामान्य	राताकोट अजमेर
5	नागौर	रामदयाल परिहार वअ रामावि दियावरी मूण्डवा	सामान्य	कडलू नागौर
6	नागौर	जाकीर हुसैन वअ राउमावि एसकेएलके नागौर	सामाजिक विज्ञान	खेतास नागौर
7	नागौर	रेणुबाला वअ राउमावि चावण्डिया मकराना	सामाजिक विज्ञान	माताभर नागौर
8	टोंक	महावीर प्रसाद मीना वअ राबाउमावि अलीगढ उनियारा	सामाजिक विज्ञान	बालून्दा टोंक
9	टोंक	शकुन्तला पारीक वअ राबाउमावि देवली	सामाजिक विज्ञान	कुचलवाडाकला भीलवाडा
10	टोंक	गोपाल सिंह सौलकी वअ राउमावि सिटी नम्बर 12 टोंक	सामाजिक विज्ञान	बा0 आवा देवली टोंक
11	टोंक	फरीदूनिशा वअ राउमावि कोठीनातमाम टोंक	सामाजिक विज्ञान	छाण टोंक
12	भीलवाडा	सुमित्रा सोडानी वअ राउमावि गागेडा हुरडा	सामाजिक विज्ञान	आरजिया भीलवाडा


 उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
 अजमेर मण्डल अजमेर

कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
कार्यालय आदेश

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / संस्था-1ए / 3बी / 2017 दिनांक 25.5.2017 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प.17 (2)शिक्षा-2 / 2003 जयपुर दिनांक 24.5.2017 के निर्देशानुसार प्रा0शि0 के विद्यालयों के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालय में शाला दर्पण के 3 बी के अधिशेष वरिष्ठ अध्यापक कार्मिकों की काउन्सिलिंग कर संलग्न सूची में कार्मिक के सम्मुख पदस्थापन विद्यालय में समायोजित किया जाता है । इनका वेतन समायोजित / पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा ।

सम्बन्धित संस्था प्रधान / कार्यालयध्यक्ष कार्यमुक्त / कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर ले ।

1 आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन के पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाया जावे अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे ।

2 सम्बन्धित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो / निलम्बित / न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे ।

3 राजस्थान ग्रामीण स्वैच्छा शिक्षा सेवा नियम 2011 तक तहत समायोजित कार्मिकों को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को देवे ।

समायोजित पदस्थापित कार्मिक तत्काल प्रभाव से कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा । सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शाला दर्पण में कार्यमुक्त / कार्यग्रहण कर, अपडेट की सूचना तत्काल प्रभाव से इस कार्यालय को प्रेषित करावे ।

संलग्न सूची :- एक

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
अजमेर मण्डल अजमेर

दिनांक 4/6/2017

क्रमांक उनिशि / मा / अज / संस्था-4 / 3बी / 2017 / 3679

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप -2 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
- 3 निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 4 उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक I / II अजमेर / भीलवाडा / नागौर / टोंक
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान / कार्मिक
- 7 कार्यालय प्रति

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
अजमेर मण्डल अजमेर